Live Smart

AKSH

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,
New Delhi-110044, INDIA
Tel.: +91-11-49991777
Fax : +91-11-49991800
Email : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO.: L24305RJ1986PLC016132

May 14, 2022

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 40005 **Scrip Code: AKSHOPTFBR**	**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Bombay-400 001 **Scrip Code: 532351**

Subject: Submission pursuant to Regulation 30 & Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication of "Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and year ended March 31, 2022" published in "The Financial Express" and "Lokmat" on May 14, 2022, in compliance with Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Kindly acknowledge the same.

For Aksh Optifibre Limited

Anubhhav Raizada
Company Secretary

Encl: a/a

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M-6)
MU BLOCK PITAMPURA: NEW DELHI-110034

PRESS NIT. NO. 07 (2022-23)

Item No.	Name of Work	Estimated Cost	Date of release of tender in E-procurement solution	Last Date/time of receipt of tender through e procurement
1.	Improvement of water supply by P/L new peripheral water line of 180 mm dia HDPE pipe OD tapping from 300 mm dia wate-line from Ramji Lal Complex to Gali No. 10. Khaddar. Ambedkar Colony (Back Side of Ayurvedic Hospital) Shalimar Bagh AC-14 under AEE M-14, ACE M-6.	Rs. 27,95,589/-	Tender ID No. 2022_DJB_222213_1 on 13.05.2022 at 02.56 P.M.	26.05.2022 up to 3:00 PM
2.	Providing and laying 450 mm dia outfall sewer line by trenchless technology from Rani Bagh market to 1600 mm dia trunk sewer line on Parwana Road under AEE M-15 in AC-15. (Re-invite)	Rs. 1,54,21,159/-	Tender ID No. 2022_DJB_222213_2 on 13.05.2022 at 03.09 P.M.	26.05.2022 up to 3:00 PM

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in/
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 110 (2022-23)

Sd/-
(Trilok Chand)
Ex Engineer (T) M-6

STOP CORONA: WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE"

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

Live Smart

Registered Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019 (Rajasthan)
Corporate Office: A 32, 2nd Floor, Mohan Co- operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
Corporate Identification No. (CIN): L24305RJ1986PLC016132

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Rs. In lakhs except per share data

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		Mar/22 (Unaudited)	Dec/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Mar/22 (Audited)	Mar/21 (Audited)
1.	Total income from operations	8,660.55	7,759.49	6,569.63	30,744.91	25,279.21
2.	Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)	714.69	622.75	319.95	2,391.42	395.43
3.	Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)	717.15	625.99	232.53	2,397.12	308.27
4.	Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)	493.35	463.59	156.92	1,701.85	222.68
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	508.89	471.22	176.13	1,754.58	241.89
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs. 5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				20,317.42	18,562.84
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each)					
	Basic :	0.30	0.28	0.10	1.05	0.14
	Diluted:	0.30	0.28	0.10	1.05	0.14

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Rs. In lakhs except per share data

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		Mar/22 (Unaudited)	Dec/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Mar/22 (Audited)	Mar/21 (Audited)
1.	Total income from operations	8,855.39	8,132.18	6,799.16	32,089.94	27,643.35
2.	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	385.04	180.72	(377.06)	586.94	(2,418.39)
3.	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	387.35	179.54	(464.48)	588.07	(2,505.55)
4.	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	167.67	6.99	(522.29)	(41.53)	(2,539.17)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	126.75	26.95	(818.25)	41.00	(2,428.99)
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				2,222.21	2,181.21
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each)					
	Basic :	0.10	0.00	(0.32)	(0.03)	(1.56)
	Diluted:	0.10	0.00	(0.32)	(0.03)	(1.56)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the Quarterly/Half yearly ended results are available on the Company's website i.e. www.akshoptifibre.com and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors
For Aksh Optifibre Limited
Sd/-
Dr. Kailash S. Choudhari
Chairman
DIN: 00023824

Place: Dubai (UAE)
Date : 13.05.2022

Pradeep Metals Limited

CIN: L99999MH1982PLC026191
Registered. Office : R-205, T.T.C. Ind. Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701
Email id : investors@pradeepmetals.com, Website : www.pradeepmetals.com, Contact no : +91-022-2769 1026, Fax :+91-022-2769-1123

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2022

	Standalone		
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended

साढे आठ बीघा भूमि पर बसाई गई चार नवीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-12 के क्षेत्र में संयुक्त अभियान आयोजित कर निजी खातेदारी करीब साढे आठ बीघा भूमि पर अवैध रूप से बसाई गई चार नवीन कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार में जोन-12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड़ पर अंसल सुशांत सिटी-द्वितीय के पास, अवस्थित ग्राम-रामकुटीया के पीछे करीब 01 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड़ पर ही दुसरी जगह ग्राम-माचवा में अवस्थित करीब 1.5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 671, 672 पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना स्वीकृति व अनुमति के बनायी गयी ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण का पुर्व में ध्वस्तीकरण किया गया था उक्त कृषि भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को सूचना प्राप्त होते ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार सुबरामपुरा रोड़ पर अवस्थित ग्राम पिण्डलोई में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये मोहरू नगर के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना स्वीकृति व अनुमति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार ग्राम-बिदायका रोड़ पर अवस्थित अल्का कॉलेज के पास करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये 'भोमिया नगर' के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना स्वीकृति व अनुमति के मिट्टी को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। नवीन अवैध कॉलोनियॉ पर ''जीरो टोलरेंसश्श् की नीति के तहत अविलंब विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। फलतः वर्तमान में प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है। जविप्रा क्षेत्राधिकार में नवीन कॉलोनी काटने के प्रकरणों में ''मतव ज्वसमतंदबमश्श् की नीति अपनाकर प्रवर्तन शाखा में विजिलेट रहकर प्राप्त शिकायतों पर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। फलतः वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी काटने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं। जनवरी वर्ष 2019 से आज तक कुल 458 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। जेडीए द्वारा नवीन अवैध कॉलोनी बसाने वाले मास्टर प्लॉन अथवा जोनल प्लॉन अथवा सेक्टर प्लॉन की पालना नही करते; भू रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि पर ही कई दफा लगती हुई सरकारी भूमि को भी सम्मिलित करते हुए अवैध कॉलोनीयॉ का सृजन कर देते है; पार्क-सुविधा क्षेत्र का भी प्रावधान नही करते। फलतः न केवल अनियोजित विकास होता है अपितु खरीददार के जीवनभर की गाढी कमाई को दाव पर लगा देते है, वे जीवन भर समस्याओं से जूझने को मजबूर हो जाते है। सरकार-जविप्रा को रेवेन्यू प्राप्त नही होता। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-12 को पत्र लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जोन के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही हेतु 77 पत्र उपायुक्त जोनस् को लिखे गये है तथा 49 निजी खातेदारो के विरूद्ध अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण में मानवीय व भौतिक संसाधनो का सम्पूर्ण खर्च राशि का अकाउन्टेट से आंकलन करवाकर नियमानुसार जविप्रा अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस जारी किये गये है; ऐसे मामलो में अब तक 7 निजी खातेदारो द्वारा कुल रिकवरी राशि 5,83,820/- रू जविप्रा कोष में जमा करवायी जा चुकी है; शेष रिकवरी वसूली के संबंध में प्रभावी अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी सचिव ने मेडीकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धी व्यवस्थाओं का लिया जायजा

धौलपुर। शासन सचिव, गृह विभाग एवं जिला प्रभारी सचिव कैलाश चन्द मीणा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर बाड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने भविष्य में केंद्र स्तर से होने वाले द्वितीय फेज के निरीक्षण के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल के साथ मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समिक्षा बैठक ली। जिसमे चिकित्सा, पीएचईडी, बिजली सहित अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान यह सामने आया कि मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हेतु अलग से चम्बल से पाइप लाइन डालने की आवश्यकता है। इस हेतु उन्होंने तत्काल टेंडर करने के निर्देश दिए साथ ही इस कार्य मे अन्य वन विभाग, जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों की एनओसी प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडीकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेडीकल कॉलेज निर्माण की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही नवीन टीचिंग हॉस्पिटल को भी फेज वाइज शिफ्ट करने के लिए भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कॉन्ट्रेक्टर को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुनः निरीक्षण किया जाएगा। उन्होनें कहा कि जिले के लोगों को उच्च चिकित्सा संस्थानो में इलाज के लिए आगरा व ग्वालियर जाना पड़ता था मेडिकल कॉलेज खुलने से यहाँ के लोगो को बेहतर इलाज के लिए अब जिले से बाहर नही जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों का भी यही बेहतर इलाज हो सकेगा। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, उपखण्ड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ0 समरवीर सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

निर्वाचन क्षेत्रा में आदर्श आचार संहिता लागू

सदस्य पदों के लिए 13 मई को निर्वाचन लोक सूचना की जारी

धौलपुर। नगरीय निकायों में सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागु हो गया है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया समाप्ती तक लागु रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 7 एवं 9 के सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव कराये जायेंगे। उन्होनें बताया कि नगरपालिका राजाखेड़ा के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

उन्होनें बताया कि नगरपालिका राजाखेड़ा में विभिन्न कारणों से सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव के लिए 13 मई को लोक सूचना जारी कर दी गई है जिसमें नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 17 मई मंगलवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा तिथि 18 मई को सुबह 10.30 बजे से, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि 20 मई को दोपहर 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 21 मई, मतदान की तिथि एवं समय 29 मई रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, मतगणना 30 मई को सुबह 8 बजे से की जायेगी।

518 करोड़ 79 लाख की 39 छोटी पेयजल परियोजनाओं को जल जीवन मिशन में मंजूरी, 15 जिलों को मिलेगा लाभ

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वित्तीय समिति की बैठक में राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की नीति निर्धारण समिति (पीपीसी) की बैठक में पारित प्रस्तावों के तहत 518.79 करोड़ रूपए की 39 छोटी पेयजल परियोजनाओं को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। इन पेयजल परियोजनाओं से प्रदेश के 15 जिलों को लाभान्वित होंगे। इनमें श्रीगंगानगर की 6, सवाई माधोपुर की 5, उदयपुर की 5, पाली की 5, जैसलमेर की 4, बीकानेर की 2, जोधपुर की 2, धौलपुर की 3, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अलवर एवं झुंझुनूं की एक-एक पेयजल परियोजना शामिल हैं। बैठक में अन्य परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यो से जुड़ी निविदाओं को भी मंजूरी दी गई।

539 गांवों के लिए ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी

वित्तीय समिति ने बीसलपुर-दूदू जलापूर्ति परियोजना के अंतर्गत 539 गांवों एवं 5 कस्बों की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए पानी ले जाने वाली सूरजपुर से सांभर ट्रांसमिशन पाईप लाइन की 265 करोड़ 96 लाख रूपए की परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

बीकानेर शहर के लिए पैकेज-2 की निविदा स्वीकृत

वित्तीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत बीकानेर शहर की पुनर्गठित बड़ी पेयजल योजना के पैकेज-2 के अंतर्गत 266 करोड़ 02 लाख रूपए की निविदा को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रीगंगानगर के 11-12 एलएनपी में जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ 46 लाख रुपए की निविदा, भरतपुर जिले के गांव सिनसिनी एवं सोनगांव के लिए 5 करोड़ 92 लाख रुपए की ग्रामीण पेयजल परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई। साथ ही, सीकर जिले की खंडेला तहसील के कांवट गांव में 5 करोड़ 67 लाख रूपए की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना से संबंधित कार्यों की निविदा को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा पर विभागीय अधिकारी नीतिगत कार्यवाही करते हुए उसका निष्पादन प्राथमिकता के साथ करें - प्रभारी सचिव

धौलपुर। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा आमजन तक उनकी पहुंच सुलभ बनाने के लिए विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शासन सचिव, गृह विभाग एवं जिला प्रभारी सचिव कैलाश चन्द मीणा की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा पर विभागीय अधिकारी नीतिगत कार्यवाही करते हुए उसका निष्पादन प्राथमिकता के साथ करें। उन्होनें कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें, अपने स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित नही रहना चाहिए। परिवादी से मोबाइल पर बात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होनें कहा कि मुख्य सचिव द्वारा फ्लैगशिप योजना की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है इसिलिए समय अवधि में उनकी क्रियान्विति करना सुनिश्चित करें। सुनवाई के अधिकार एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत आमजन को समय सीमा के तहत लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होनें सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में राज्य स्तर का कोई प्रकरण हो तो उससे अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होनें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अभियान के दौरान जिन दुकानों से लिये गये खाद्य पदार्थो के नमुनों जो सही मानकों में नही पाये गये है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है शादियों में मावा, पनीर, दूध एवं अन्य मिठाईयों का अधिक प्रयोग किया जाता है इसीलिए शादियों में बनायी जाने वाली मिठाईयों के नमुने लिया जाना सुनिश्चित करें। जिले में सुपोषण के नवाचार एवं जिले को अलग पहचान दिलाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी टीम भावना से प्रयास कर कुपोषण मुक्त जिला बनाना सुनिश्चित करें। प्रशासन गावों एवं शहरों के संग अभियान में आने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य प्रकरणों का निस्तारण करते हुए सरकारी योजनाओं से बंचीत पात्रा लोगों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्राी निःशुल्क दवा एवं जॉच योजना का आमजन को शत प्रतिशत लाभ दिलायें। पालनहार योजना की पात्राता रखने वाले लोगों की जानकारी सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध करायें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी लंबित प्रकरणों का निस्तारण की शत प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारी अपने क्षेत्रा मे भ्रमण करना सुनिश्चित करे। राज्य सरकार द्वारा विभाग की गतिविधियों एवं विभागीय कार्यो का क्रियान्वयन में सुधार के लिए समय समय पर जिला स्तरीय अधिकारी बैठक कर आवश्यक कार्यवाही करें। पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य स्वीकृत करें। जिससे गरीब वर्ग के व्यक्तियों को लाभ मिल सकें। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए डांग क्षेत्रा में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए टेंकरों में जीपीएस लगाकर एवं उनपर निगरानी बनायी जाये। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्य आदेश जारी होने वाले कार्यो को यथाशीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों में लू, ताप, घात एवं उल्टी दस्त मौसमी बीमारियों की अधिक संभावना रहती है इसीलिए सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर ओआरएस घोल के साथ ही मौसम जनित दवाईयों की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें। निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी कार्मिक अपना आरजीएसएस का कार्ड बनवायें एवं निरोगी राजस्थान योजना के तहत दवाईयों के लिए चिन्हित की गई दुकानों पर आरजीएसएस के बैनर लगवाना सुनिश्चित करें इसका सभी उपखण्ड अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया जाये। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सभी बैंको द्वारा ऋृण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीवन ज्योति बीमा योजना, कृषि बीमा योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं के संबंध में समीक्षा की। योजनाओं के साथ साथ उनका लक्ष्य भी निर्धारित करें ताकि आमजन तक सही समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

राजस्थान आवासन मण्डल, खंड झुंझुनूं
जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की पुरानी कॉलोनी झुंझुनूं योजना में आवास संख्या 4/170 का आंवटन श्री पितराम पुत्र श्री बुद्धराम को आवंटन पत्र क्रमांक 385 दिनांक 25.06.1994 को किया गया था। श्री पितराम द्वारा उक्त आवास का दिनांक 14.07.1995 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया। श्री पितराम की मृत्यु दिनांक 08.06.1997 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा उक्त आवास का अपंजीकृत घोषणा-पत्र दिनांक 31.03.2022 को निष्पादित कर दिया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 15 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्री राजेन्द्र कुमार का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा।

आवासीय अभियंता
राजस्थाना आवासन मण्डल
खण्ड झुंझुनूं

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांकः- जविप्रा/अधि.अभि. (उद्यान-I)/2022/डी-1285 दिनांकः 13.05.2022

अल्पकालीन बिड सूचना सं. अधि.अभि. (उद्यान-I)/04/2022-23

जयपुर विकास प्राधिकरण में ''**मसाला चौक, रामनिवास बाग, जयपुर में 30 कियोस्कों का संचालन और प्रबंधन** हेतु कियोस्कवार आशय/रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण'' मोहरबन्द निविदा (बिड) आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। UBN No.:-JDA2223SSOB00066

राजस्थान संवाद/सी/1811/2022-23 अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान-I)

ईंट भट्ठा व्यवसाय बंद होने की कगार पर, प्रभारी को सौंपा ज्ञापन

हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर ईंट भट्ठा एसोसिएशन ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ दौरे पर आये प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल को श्रीगंगानगर जिले के क्षेत्र में स्थापित ईंट भट्ठों के विरूद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियन्ता विष्णुदत्त पुरोहित द्वारा जारी किए गए वसूली आदेशों के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि श्रीगंगानगर जिले के क्षेत्र में स्थापित ईंट भट्ठों के विरूद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियन्ता विष्णुदत्त पुरोहित द्वारा जारी किए गए वसूली आदेशों के सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी इपन द्वारा अवगत करवाया गया था।

उक्त प्रकरण में आज दिन तक कोई राहत नही मिली है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के क्षेत्र में 165 ईंट भट्ठों पर इन्वायरमेंट कम्पनसैशन के नाम पर प्रति ईंट भट्टे पर लगभग 25,00,000/- रूपये (अखरे पच्चीस लाख रूपया) पैनल्टी के रूप में लगाई गई है। पूरे जिले में ईंट भट्ठा सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आता है, जो इलाके में सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि आबादी क्षेत्र से दूर ग्रामीण आँचल में लगता है। प्रत्येक इंट भट्ठे पर लगभग 150 परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर कुल 25 हजार परिवार अपना पालन-पोषण करते है तथा अपने जीवन का निवर्हन करते हैं। श्रीगंगानगर जिले में किसी भी ईंट भट्ठे पर कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है। सारे ईंट भट्ठों कृषि अपशिष्ट (सरसों की तूड़ी) का उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि अपशिष्ट बेचकर 40 करोड़ का मुनाफा होता है। श्रीगंगानगर जिले में स्थापित 165 ईंट भट्ठों को बंद किया जाता है, तो किसानों द्वारा अपशिष्ट को खुले में एक साथ जलाया जायेगा, जिससे भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण होगा, जिससे गम्भीर बीमारियाँ फैलने की आशंका है अर्थात् पंजाब में पराली जलाने की जो अवस्था होती है वहीं यहाँ लागू हो जायेगी, जिससे आमजन का जीना दुःभर हो जायेगा तथा इसके साथ-साथ किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। इसके साथ-साथ राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति शत-प्रतिशत बढ़ जायेगी तथा मजदूरों का रोजगार भी एक तरह से छिन जायेगा, जो कि सरकार के मूल भावना सर्वजन कल्याण के विपरीत होगा। ईंट भट्ठे बंद होने के कारण इन भट्ठों पर कार्यरत तकरीबन 20 हजार परिवार अपनी आजीवीका चलाने में असमर्थ हो जायेंगे व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन की श्रेणी में आ जायेंगे। प्रत्येक ईंट भट्ठा सरकार को माईनिंग व जी.एस.टी. के तकरीबन 10,00,000/-रूपये (अखरे दस लाख रूपये) देता है, तो बंद होने पर प्रतिवर्ष साढ़े सौलह करोड़ रूपये की राजस्व हानि भी होगी।

श्रीगंगानगर ईंट भट्ठा संघ ने ज्ञापन देकर भट्ठा संचालकों को राहत देने की मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र छाबड़ा, श्याम बतराना, जगदीश जाखड़, विशाल बलाना, जुगल सिंह ,दीपक कालडा, प्रवेश वधवा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

AKSH OPTIFIBRE LIMITED
Live Smart
Registered Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019 (Rajasthan)
Corporate Office: A 32, 2nd Floor, Mohan Co- operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
Corporate Identification No. (CIN): L24305RJ1986PLC016132

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Rs. In lakhs except per share data

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		Mar/22 (Unaudited)	Dec/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Mar/22 (Audited)	Mar/21 (Audited)
1.	Total income from operations	8,660.55	7,759.49	6,569.63	30,744.91	25,279.21
2.	Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)	714.69	622.75	319.95	2,391.42	395.43
3.	Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)	717.15	625.99	232.53	2,397.12	308.27
4.	Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)	493.35	463.59	156.92	1,701.85	222.68
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	508.89	471.22	176.13	1,754.58	241.89
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs. 5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				20,317.42	18,562.84
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic :	0.30	0.28	0.10	1.05	0.14
	Diluted:	0.30	0.28	0.10	1.05	0.14

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Rs. In lakhs except per share data

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		Mar/22 (Unaudited)	Dec/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Mar/22 (Audited)	Mar/21 (Audited)
1.	Total income from operations	8,855.39	8,132.18	6,799.16	32,089.94	27,643.35
2.	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	385.04	180.72	(377.06)	586.94	(2,418.39)
3.	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	387.35	179.54	(464.48)	588.07	(2,505.55)
4.	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	167.67	6.99	(522.29)	(41.53)	(2,539.17)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	126.75	26.95	(818.25)	41.00	(2,428.99)
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				2,222.21	2,181.21
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic :	0.10	0.00	(0.32)	(0.03)	(1.56)
	Diluted:	0.10	0.00	(0.32)	(0.03)	(1.56)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the Quarterly/Half yearly ended results are available on the Company's website i.e. www.akshoptifibre.com and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors
For Aksh Optifibre Limited
Sd/-
Dr. Kailash S. Choudhari
Chairman
DIN: 00023824

Place: Dubai (UAE)
Date : 13.05.2022